भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर—मध्य क्षेत्र) 25 सुमाष रोड, देहरादून—248001 दूरभाषः 0135—2650809 फैक्स—0135—2653010

पत्र सं0 8बी/एच.पी./06/46/2019/एफ.सी./64

ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE) 25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001 PHONE- 0135-2650809 FAX- 0135-2653010 Email- <u>moef.ddn@gov.in</u>

दिनांकः 15/04/2019

सेवा में

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला।

- विषय : Diversion of 3.0506 ha of forest land in favour of HPPWD for construction of Charwadhar to Gram Gouncha road (Kms 0/0 to 4/00), within the jurisdiction of Chopal Forest Division, District Shimla, H.P. (online no. FP/HP/ROAD/26257/2017)
- संदर्भः नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हि0प्र0 के पत्रांक एफ.टी. 48–3600/2017 (एफ.सी.ए.) दिनांक 11.03.2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत यह पाया गया है कि ग्राम पूर्व से ही मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। अतः राज्य सरकार नये मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में औचित्य प्रेषित करे साथ ही निम्निलिखित कमियों का जावाब/सूचना भी इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें:

- 1- In the proposal, it seems that the KML file of the proposed alignment that the end portion of the road has possibility to explore Non-Forest Land in order to cover the settlements in their proximity and to avoid unnecessary penetration to the forest area that can reduce the felling also. The State Government may explore the possibility for the same and revise the enumerations, geo-referenced map, KML etc. in this regard.
- 2- If proposed road is within 10 Km area of nearest Protected Areas therefore, state govt. may submit the comment of CWLW in this regard to this office.
- 3- The state govt. may explore possibility to shift dumping area in non-forest land specially for the dumping site D2.

यदि चाही गयी सूचना पत्र जारी होने की तिथी के 60 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त नही हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(डाo योगेश गैसेला) तकनीकी अधिकारी